राव बिरेंदर सिंह स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी

जैनाबाद जिला रेवाड़ी

संस्था में लडको के छात्रावास के लिए ठेके के आधार पर भोजनालय को दिया जाना है।इच्छुक बोली दाता लिखित बोली संस्था में 25 मार्च 2021 तक जमा करवा सकता है। बोली के नियम व शर्तें इस प्रकार है-

हॉस्टल भोजनालय के ठेकेदार को भोजनालय के सभी प्रकार के बर्तनों (खाना बनाने व खाना खाने के) का प्रबंध अपने आधार पर खुद ही करना होगा।

ठेकेदार को दिए गए भोजन कार्ड के अनुसार खाना परोसना होगा तथा संस्था इसमें कभी भी बदलाव कर सकती है।

छात्रावास के भोजनालय का कॉन्ट्रैक्ट शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए ही दिया जाएगा, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

छात्रावास भोजनालय लेने वाले ठेकेदार को 1 दिन का औसत कीमत अपनी निविदा में दिखाना होगा।

ठेकेदार को छात्रावास भोजनालय चलाने के लिए अपने स्तर पर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं सर्टिफिकेट अपने खर्चे पर प्राप्त करने होंगे।

भोजनालय के ठेकेदार को सभी वर्कर्स का प्रबंध अपने स्तर पर करना होगा।

भोजनालय के ठेकेदार को छात्रों से भोजनालय के शुल्क अपने स्तर पर लेने होंगे तथा उनका उचित रिकॉर्ड भी रखना होगा जिसे समय-समय पर चेक किया जाएगा।

भोजनालय के ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह भोजन के लिए प्रतिदिन स्वादिष्ट एवं ताजी फल और सब्जियों का प्रबंध करें।

भोजनालय का ठेकेदार छात्रावास में भोजन बनाने व परोसने के सिवाय किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधि शुरू नहीं करेगा।

भोजनालय को साफ एवं स्वच्छ रखने की जिम्मेबारी भी भोजनालय के ठेकेदार की होगी।

छात्रावास तथा छात्रावास के भोजनालय से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए छात्रावास अधिकारियों/ संस्था से संपर्क किया जा सकता है।

छात्रावास में अनुमानित छात्रों की संख्या 170 है, किंतु यह संख्या समय-समय पर बदलती रहती है।

भोजनालय के ठेकेदार को भोजनालय कक्ष का बिजली बिल देना होगा।

छात्रावास के ठेकेदार को भोजन बनाने के लिए अपने स्तर पर एवं अपने खर्चे पर स्वच्छ इंधन का प्रयोग करना होगा।

भोजनालय में भोजन बनाने वाले तथा भोजन परोसने वाले कर्मचारियों की यूनिफॉर्म होगी।

संस्था के भोजनालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते समय पर देने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी तथा ठेकेदार सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के भत्ते को अपने स्तर पर जमा कर करवाएगा।

भोजनालय में होने वाली किसी भी अनहोनी घटना की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी प्रकार का जोखिम खर्चा ठेकेदार को देना होगा।

भोजनालय के सफल बोली दाता को ₹50000 की राशि, जमानत राशि के रूप में जमा करवानी होगी, जिसका कोई ब्याज नहीं मिलेगा। भोजनालय के ठेके के सफलतापूर्वक पूरे होने पर जमानत राशि, यदि कोई कटौती हो तो उसे काट कर, अदा कर दी जाएगी।

संस्था छात्रावास के भोजनालय के लिए केवल खाली स्थान उपलब्ध कराएगी।

किसी भी परिस्थिति में संस्था के डायरेक्टर प्रिंसिपल का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।

संस्था के डायरेक्टर प्रिंसिपल बिना कोई कारण बताए कभी भी निविदा/बोली या कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर सकते हैं।

डायरेक्टर प्रिंसिपल

छात्रावास भोजनालय भोजन सूची

समय	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	बृस्पतिवार	शुक्रवार	शनिवार	रविवार
नाश्ता 7:30 - 09:00 am	आलू/प्याज़ पराठे/दही/दूध/ अचार/चटनी	केला और एक गिलास दूध	चपाती/दूध/आलू सब्ज़ी	वेज सैंडविच, दूध	मिक्स वेज/पराठे/दूध/दही/अचार/ चटनी	पराठे/चाय/अचार/चटनी	चाय
दोपहर का भोजन 12:30 - 02:00 PM	चपाती/चावल/राजमा/रायता और ग्रीन सलाद	चपाती/चावल/काला चना सब्ज़ी/सलाद/रायता	चपाती/चावल/छोले की सब्ज़ी/सलाद/रायता	चपाती/चावल/सोयाबीन की सब्ज़ी/लोबिया/सलाद	चपाती/चावल/पनीर की सब्ज़ी/रायता और सलाद	चपाती/चावल/आलू मगोड़ी/सलाद/रायता	पूरी/पनीर/रायता/सलाद
रात का भोजन 7:30 - 9:00 PM	चपाती/चावल/मिक्स वेज़/सलाद/दाल	चपाती/चावल/दाल/मौसमी वेज़/खीर/सलाद	चपाती/चावल/दाल/सब्ज़ी/सलाद	चपाती/चावल/दाल/मौसमी वेज़/सलाद/पकाया हुआ दूध (कस्टर्ड)	चपाती/चावल/दाल/ मिक्स वेज/सलाद	चपाती/चावल/दाल/मौसमी वेज/चटनी /सलाद	चपाती/चावल/मौसमी वेज/सलाद/पकाया हुआ दूध

D-P/ Sir

CWBH